

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./द/अ.पि.व/पूमै/विज्ञप्ति/2013-14/

दिनांक : 09-06-16

1. निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग  
राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग  
राजस्थान बीकानेर
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी  
(माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)

**विषय :- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ष 2016-17 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।**

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में शासन के पत्रांक प.1(14)शिक्षा-1/2004 दिनांक 25.11.2009 के अनुसार नवीन निर्देश एवं पात्रता मानदण्ड तैयार किये गये थे। इन आदेशों की पालना में आप नीचे अंकित निर्देशों, शर्तों एवं पात्रता मानदण्डों का गहनता से अध्ययन कर अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करें। छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्रवेश के समय ही समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। अपने जिले के पात्र छात्र/छात्राओं के प्रस्ताव निम्नांकित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार तैयार कर जि.शि.अ. (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) द्वारा निदेशालय को अलग-अलग भिजवाना सुनिश्चित करें।

## चरणबद्ध कार्यक्रम :

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित तिथि
1.	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान को आवेदन प्रस्तुत करना	01.08.2016
2.	संस्था प्रधान द्वारा जि.शि.अ.कार्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना	05.08.2016
3.	समेकित प्रस्ताव निदेशालय माध्यमिक को प्रस्तुत करना	10.08.2016

पात्रता के मानदण्ड एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

### A. आवेदन :

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु नवीन आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। यह नवीन आवेदन पत्र ही मान्य होगा एवं उक्त आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईड [www.rajshiksha.gov.in](http://www.rajshiksha.gov.in) पर भी उपलब्ध है। उन्हें वेबसाईड से डाउन लोड कर पर्याप्त मात्रा में फोटो कॉपी करवाकर उपयोग में लिया जा सकता है।

### B. पात्रता/शर्तें :

1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़े वर्ग की जाति की सूची में आवेदक छात्र/छात्रा की जाति का होना अनिवार्य है।
2. छात्र/छात्राओं केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक में नियमित छात्र के रूप में अध्ययनरत रहे हो।
3. छात्र/छात्राओं के माता-पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 44500/- रुपये की सीमा तक हो तथा आय प्रमाण पत्र राजस्व (गुप-1) विभाग के पत्रांक प.13(34)राज/गुप-1/2012 दिनांक 09.08.2012 के अनुसार आय उद्घोषणा पत्र में प्रस्तुत करना होगा।
4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिलता हो।
5. कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी सत्र में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
7. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय के अनुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए छात्रवृत्ति स्वीकृति पर विचार किया जावे।
8. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि 30 प्रतिशत छात्राओं को सम्मिलित करना अनिवार्य है।
9. छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि सर्वप्रथम बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता दी जावे, यह कार्यवाही करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ए.पी.एल. परिवारों को शामिल किया जावे।

10. छात्रवृत्ति के विस्तृत प्रचार-प्रसार की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाना सुनिश्चित की जावे ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ मिल सके।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु निम्नांकित प्राथमिकता क्रम का भी आवश्यक रूप से ध्यान रखा जावे :-
1. बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
  2. ए.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी
  3. निशक्ता: विद्यार्थी
  4. विधवा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी
  5. तलाक शुदा महिला के पुत्र/पुत्री विद्यार्थी
12. छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र/छात्रा	6 से 8	40/- प्र.माह
2	छात्र/छात्रा	9 से 10	50/- प्र.माह

**13. संलग्न दस्तावेज :-**


आवेदन पत्र के साथ लगाने वाले समस्त दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां ही मान्य होगी।

1. आय प्रमाण पत्र बिन्दु संख्या B-3 के अनुसार (मूल)
2. परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित छायाप्रति।
3. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से है तो उनके कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं भामाशाह व आधार कार्ड की छायाप्रति।
4. यदि आवेदक निशक्त/विधवा/तलाकशुदा महिला के पुत्र-पुत्री/विधवा महिला के पुत्र/पुत्री श्रेणी से संबंधित है तो संबंधित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों का लेखा-जोखा संलग्न प्रपत्र 'ब' में संधारित कर कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाये। रजिस्टर में प्रविष्टि का क्रमांक एवं आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक आवश्यक रूप से अंकित किया जाए। आवेदन पत्र की गहनता से जांच की जाए एवं जांच से सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही उपरोक्त मानदण्ड/शर्तें एवं प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही की जाए तथा मांग राशि के प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र 'अ' में मय प्रमाण-पत्र के हार्ड कॉपी सहित मांगक स्तर पर दिनांक 10.08.2016 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित कर दिये जाएंगे।

नोट :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.19(5)शिक्षा-6/02 जयपुर दिनांक 24.11.2009 के अनुसार विद्यालय में एक बार जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त उसी विद्यालय में पुनः जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जावे तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा-6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार रमसा द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान लाभ दिये जावे। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की प्रति आवश्यक रूप से प्राप्त की जाये। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाये। बैंक खाते को आधार कार्ड व भामाशाह लिंक कराना सुनिश्चित किया जाये। संस्था प्रधान विद्यालय स्तर पर बैंक खाता खुलवाने का कार्य सुनिश्चित करे।

संलग्न :- प्रपत्र 'अ', 'ब', व आवेदन पत्र




(बी.एल. स्वर्णकार)  
I.A.S.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

**प्रतिदिशि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, सांजाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
3. मुख्यलेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
5. उपनिदेशक (योजना) कार्यालय हाजा।
6. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग।
7. वरिष्ठ सम्पादक "शिविरा" को शिविरा पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. पत्रागरी प्रमाण 'ब' छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ।

बाबत।



प्रभारी अधिकारी  
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर



केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं  
की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र

राजपत्रित  
अधिकारी द्वारा  
प्रमाणित फोटो

सत्र 2016-2017

1. छात्र/छात्रा का नाम : .....
2. जन्मतिथि (अंको में) : .....
- (शब्दों में) : .....
3. पिता का नाम : .....
4. माता का नाम : .....
5. निवासी : (1) राजस्थान  
(2) जिले का नाम.....
6. अन्य पिछड़ा वर्ग में जाति : .....
- का नाम
7. माता-पिता/संरक्षक की : .....
- वार्षिक आय (गत सत्र की  
वार्षिक आय भरें)
8. माता-पिता/संरक्षक की : 1. बीपीएल 2. निःशक्त  
श्रेणी 3. विधवा 4. तलाकशुदा
9. माता-पिता/संरक्षक : है / नहीं  
आयकरदाता
10. गत उत्तीर्ण की गई कक्षा : .....
11. गत उत्तीर्ण कक्षा के प्राप्तांक :

कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत या ग्रेड

वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप दूसरी बार अध्ययन कर रहे छात्र छात्रवृत्ति पाने के लिए अपात्र होंगे।

12. गत कक्षा में अध्ययनरत रहे : .....
- विद्यालय का नाम एवं पूरा पता .....

13. स्थायी पता :-

छात्र/छात्रा का नाम : .....

गांव.....पोस्ट.....

वाया.....जिला.....

फोन नं. मय STD कोड.....

मोबाईल नं.....

14. बैंक का नाम

: .....

खाता संख्या : .....

IFSC कोड : .....

भामाशाह कार्ड संख्या : .....

आधार कार्ड संख्या : .....

माता-पिता/संरक्षक और छात्र/छात्रा द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि :-

योजना संबंधी सभी नियमों /निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लिया है, जिनका मैं पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा प्रदत्त तथ्यों (संलग्न दस्तावेजो) में कोई भी गलत पाया जाता है तो मैं स्वीकृत समस्त छात्रवृत्ति विभाग को वापस जमा कराने का वचन देता/देती हूँ। मैं अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूँ।

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... पुत्र/पुत्री .....  
..... के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पूर्ण जांच कर ली गई है तथा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों से संबंधित दस्तावेज प्रमाणित है एवं उनमें अंकित तथ्य सही है। छात्र/छात्रा को सत्र 2016-17 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर  
मय मोहर